

प्रारूप-2
(नियम 24 (1))

सं. 431


तारीख : 3-9-2015

झारखण्ड सरकार

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, जमशेदपुर

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा 3 के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपाबद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स जी.एन.के.ए. एंजिनिअरिंग को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1. नियोजक का नाम एवं पता श्री. प्रणव कुमार शाह, तुमनाइंड्री, पाना-धरशिला,
जिला-सुपुल
2. उस स्थान का डाकपता/अवस्थिति जहाँ नियोजन द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।
जन्मेश्वर हाफ्टमेंट, संदपुरा, धरशिला,
3. स्थापना का नाम और स्थायी पता जी.एन.के.ए. एंजिनिअरिंग
शाह हाफ्टमेंट, तुमनाइंड्री, पाना-धरशिला, जिला-सुपुल
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किये जाने हैं भवन निर्माण
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जानेवाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या 18
(सह(8))
6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख प्रारंभ की तिथि- 19.5.15
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियाँ _____


03/9/15
श्रम अधीक्षक
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुद्रा के साथ)